प्रकरण संख्या 25/2016 धुलिया बनाम श्रीमती कुरी अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.04.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में सुनी गयी बहस एवं पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 06.06.2016 को जवाबदावे में लम्बित थी तथा दिनांक 12.07.2016 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय किया गया :– ''पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प जौलाना पर पेश हुई। पक्षकारान हाजिर हैं। प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती कूरी ने बताया कि उसके पति एवं ससुर के नाम की खातेदारी की भूमि विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड बेनामा विवादित आराजियात को प्रतिवादी संख्या 3 को बेचान कर दिया है। मामले में सिविल बिन्दु होने से इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार न होना प्रतिवादी पक्ष ने बताया है। पत्रावली का अवलोकन किया। रजिस्टर्ड बेनामा से विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 3 के हक में बेचान होने से मामला सिविल नेचर का होना पाया गया है। अतः क्षेत्राधिकार के बाहर वाद होने के कारण खारिज किया जाता है।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट की साक्ष्य लिये बिना सिर्फ इस आधार पर कि विवादित आराजियात का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में कर दिया गया है, प्रकरण में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं मानकर सिविल बिन्दु होने का आधार मानकर वाद क्षेत्राधिकार विहीन मानकर खारिज कर दिया। प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का विधिवत अवसर नहीं दिया गया है तथा प्रकरण में विक्रय पत्र की अधिकृतता एवं वैधानिकता बाबत् विक्रय पत्र के एबइनीसियो वोईड होने अथवा अधिकार विहीन अथवा निरस्तनीय होने बाबत् किया जाकर तथा उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जाकर प्रकरण लोक अदालत में रखकर मात्र प्रकरणों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से निर्णय पारित किया गया है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिकनांक 12.07.2016 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर विक्रय हो जाने मात्र से प्रकरण को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं मानने के अभिमत के स्थान पर प्रकरण में पक्षकारों के हक एवं उस हक के अनुसरण में ही किये गये विक्रय पत्र को मान्यता दिये जाने के विधिक तथ्यों के अन्तर्गत रखते हुए उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.06.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	